न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः—14/2020 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः—2020/00046

उनवान

1. विनोद
2. प्रकाश } पिसरान मोहनलाल
3. सुभाष
4. कमलेश पुत्र प्रहलाद
5. चन्द्रशेखर पुत्र प्रहलाद
6. कैलाश पुत्र लल्लूराम

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी नादौती तहसील नादौती जिला करौली।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली।

....रेस्पोडेंन्टस्।

उपस्थितः—

1. श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता अपीलांट ।
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो सं0 01।

—::निर्णय::—

दिनांकः16.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ नादौती जिला करौली में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 206/2010 बउनवान मोहनलाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 702/0.32, 703/0.81, 706/0.5[illegible] 2.21 है0 वाके ग्राम नादौती तहसील नादौती में स्थित वादीगण के क[illegible]की भूमि है। अविवादित आराजीयात साविक खसरा नम्बर 138/926 [illegible] मिन (शामिल नम्बर 702) 138/926 मिन (शामिल [illegible] 702) 138/926 मिन (702) है। [illegible] 30.05.89

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

तहसील नादौती के नोटिस बोर्ड पर उक्त भूमि का अलोटमेंट किये जाने की सूचना पर वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जावें। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती ने दिनांक 25.05.2017 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण के पिता लल्लूराम के कब्जेकाश्त मे करीब 30 वर्ष से चली आ रही है। इस बारे मे तहसील नादौती ने सम्बत् 2025 व 2026 मे इस भूमि को काश्त करने के बारे मे लल्लूराम को धारा 91 के नोटिस भी दिये व यह साबित पाया गया कि भूमि पर 5–6 साल पूर्व से लल्लूराम का कब्जा काश्त है जिसके पेनल्टी व लगान भी वह जमा कराता है तहसीलदार ने निर्णय दिनांक 07.12.71 में यह साबित माना कि उक्त भूमि सतानन्द पुत्र हर भगवान नामक व्यक्ति को अलोट होना बताया गया वह व्यक्ति नादौती का रहने वाला नहीं हैं सतानन्द का कभी अलौटी के नाते कब्जा नहीं दिया गया। तहसीलदार जी ने यह माना कि भूमि पर कब्जा लल्लूराम का है ऐसी स्थिति मे सतानन्द अलौटी कैसे हो सकता है वास्तव मे भूमि पर कब्जा लल्लूराम ही काबिज है जमीन सिवायचक है।

अतः परिपत्र दिनांक 24.03.71 के अनुसरण में भूमि खसरा नम्बर 138 का रकबा 2 बीघा 5 विस्वा व 8 बीघा कुल सवा दस बीघा को लल्लूराम को उसके अधिकार से नियमन किया जाता है। उस आदेश द्वारा सवा दस बीघा सिवायचक भूमि वादीगण के पिता लल्लू पुत्र भोलाराम की काश्त हेतू नियमन कर दी गई व लगान बारानी 3 की दर से कायम हो गया। उक्त भूमि खसरा 138/926 रकबा 10 बीघा का नामातंरण संख्या 466 बहक सतानन्द सन 1977 में स्वीकृत हो गया, परन्तु वास्तव में सतानन्द नामक व्यक्ति का कब्जा कभी विवादित आराजीयात पर नहीं रहा। दिनांक 30.05.89 को तहसील नादौती के नोटिस बोर्ड पर उक्त भूमि को अलोट किये जाने की सूचना मिलने पर वादीगण ने मातहत अदालत के समक्ष दावा पेश किया जिसे मातहत अदालत ने बिना उचित सुनवाई को अवसर दिए पत्रावली को अदालत शिविर में रखते हुए दिनांक 25.05.2017 खारिज [illegible] विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

7. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पेश दावे को मातहत अदालत द्वारा गलत तरीके से खारिज फरमा दिया गया लोक अदालत में मात्र विभिन्न पक्षकारान के आपस में होने वाले राजीनामो को ही तस्दीक किया जाता है, लेकिन मातहत अदालत ने साक्ष्य प्रतिवादी में चल रही पत्रावली को उक्त निर्णय द्वारा खारिज दिया। मातहत अदालत ने आदेश 20–रूल–5 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना में तनकी बार निर्णय नहीं किया। तथा सुनवाई के अधिकार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसरण में बिना उभयपक्षकारान को सुने उक्त निर्णय पारित कर दिया है जो खारिज योग्य है। मातहत अदालत को अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को समुचित सुनवायी व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये थे, लेकिन मातहत अदालत ने सरसरी तौर पर स्थायी लोक अदालत के सिद्धांतो का उल्लघंन करते हुये उक्त निर्णय परित किया है। अतः मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती के निर्णय दिनांक 25.05.2017 को अपास्त फरमा[illegible]स्वीकार फरमाई जावे।

8. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट की तरफ से पैरो[illegible] ने कथन किया कि विवादित आराजीयात भूमि नादौती कस्बे के [illegible] नजदीक स्थित है। भूमि कस्बे के नजदीक होने [illegible] भवन व सार्वजनिक संस्थान के

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उद्देशों के लिए आंवटनार्थ उपयोग योग्य है। अपीलांट/वादीगण का मौके पर किसी भी प्रकार का अतिचार कब्जा नही है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती द्वारा पारित निर्णय सही व न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

9. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

10. पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ससम्मान अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2043–2046 वाके ग्राम व पटवार हल्का नादौती खसरा नम्बर खसरा नम्बर 702/0.32, 703/0.81, 706/0.58, 708/0.46, 709/0.04 कुल 2.21 है0 सतानन्द पुत्र लाला हरनारायण के नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु नामान्तरण 36 दिनांक 27.03.86 द्वारा पूरा खाता सिवायचक दर्ज हुआ है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में यह अंकन की **"तहसीलदार के निर्णय दिनांक 07.12.71 से भूमि खसरा नम्बर 138 का रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा व 8 बीघा कुल रकबा 10 बीघा, पर लल्लूराम को उसके अधिकार से नियमन किया जाता है।"**
गलत तथ्य का अंकन किया है। क्योंकि---
(1) तहसीलदार के तथाकथित निर्णय दिनांक 07.12.71 की मूल प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही है।
(2) छाया प्रति में भी **"केवल नियमन किया जावें"** का ही अंकन है।
राजस्थान भूमि आंवटन नियम 1971 (कृषि प्रयोजनार्थ) में उपखण्ड़ अधिकारी ही भूमि नियमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस कारण अपीलांट का उपरोक्त कथन अविधिक है, मान्य नही है। "एडवर्स पजेशन" के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में खातेदारी अधिकार दिए जाने का प्रावधान नही है और न ही इस आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न होते है।
इसी तथ्य को माननीय राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर की वृहद पीठ द्वारा दृष्टांत **आर.आर.डी. 2011 (2) पेज 721** पर किया गया।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती जिला करौली के मुकदमा नम्बर 206/2010 बउनवान मोहनलाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 16.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. विनोद
2. प्रकाश पिसरान मोहनलाल
3. सुभाष
4. कमलेश पुत्र प्रहलाद
5. चन्द्रशेखर पुत्र प्रहलाद
6. कैलाश पुत्र लल्लूराम

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी नादौती तहसील नादौती जिला करौली।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली।

....रेस्पोडेंन्टस्।

अपील संख्या :14/2020 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या :2020/00046 दिनांक 16.01.2023
अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी नादौती

1. यह अपील व तारीख 16.01.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री रिषीराम मीना अपीलांट व हाजरी श्री पैरोकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज योग्य पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नादौती जिला करौली के मुकदमा नम्बर 206/2010 बउनवान मोहनलाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 को यथावत रखा जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 16.01.2023 को जारी किया गया।

मुहर

16.01.23
हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested